कार्यालय, जिला कार्यक्रम अधिकारी रायबरेली।

पत्रांक– / /जि0का0अधि0/आ0बा0का0विज्ञप्ति/2026–27 दिनॉक 16 जुलाई, 2026

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या–।/1092245/2025/3313/58–1–2025 (1917687) दिनांक–17.09.2025 में वर्णित व्यवस्थानुसार जनपद रायबरेली के शहरी/ग्रामीण परिक्षेत्रों में संचालित बाल विकास परियोजनाओं में आंगनबाड़ी कार्यकत्री के रिक्त पदों पर चयन हेतु विभागीय वेबसाइट http://upanganwadibharti.in पर महिला अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। रिक्त पदों का विवरण परियोजनावार निम्नवत है:–

क0 सं0	परियोजना का नाम	आंगनबाड़ी कार्यकत्री के रिक्त पदों की संख्या			
		कुल रिक्त पदो की संख्या	अनारक्षित	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति
1	अमांवा	6	4	2	0
2	बछरांवा	9	6	3	0
3	हरचंदपुर	10	6	2	2
4	छतोह	4	3	1	0
5	डलमऊ	16	10	3	3
6	दीनशाहगौरा	2	1	1	0
7	डीह	16	9	6	1
8	जगतपुर	3	3	0	0
9	खीरों	18	9	6	3
10	लालगंज	16	9	1	6
11	महराजगंज	17	12	3	2
12	शहर	4	3	1	0
13	राही	13	10	3	0
14	रोहनियां	5	3	2	0
15	सलोन	19	17	2	0
16	सरेनी	16	12	3	1
17	सतांव	7	5	2	0
18	ऊंचाहार	10	2	5	3
		191	124	46	21

उपरोक्त रिक्त पदों का केन्द्रवार/ग्रामसभावार/वार्डवार/केन्द्र आरक्षण विवरण जनपद के कलेक्ट्रेट/विकास भवन/जिला कार्यक्रम कार्यालय/समस्त तहसील/नगर पालिका/नगर पंचायत/विकास खण्ड एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई है साथ ही विभागीय बेबसाईट http://upanganwadibharti.in पर उपलब्ध है।

विज्ञापित पदों की अर्हता एवं आवेदन पत्र भरने हेतु दिशा निर्देश :–

1. विज्ञापित पदों हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगी।
2. ऑगनबाड़ी कार्यकत्री के पद पर चयन की समस्त कार्यवाही शासनादेश संख्या–।/1092245/2025/3313/58–1–2025 (1917687) दिनांक–17.09.2025 में वर्णित प्रकिया के अधीन होगी। उपरोक्त शासनादेश को उ0प्र0 शासनादेश के अधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त किया जा सकता है।
3. आंगनबाड़ी कार्यकत्री के पद हेतु शासनादेशानुसार न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट या उसके समकक्ष होगी तथा अधिकतम शैक्षिक योग्यता परास्नातक तक के प्राप्तांक/पूर्णांक के प्रतिशत के आधार पर मेरिट तैयार की जायेगी। हाईस्कूल के अंको को मेरिट में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
4. ऑगनबाड़ी कार्यकत्री पद हेतु आवेदिका की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष व अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित है। आयु की गणना दिनांक 01.07.2026 से की जायेगी। आयु के सम्बन्ध में आंगनबाड़ी कार्यकत्री के पद हेतु हाई स्कूल अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि ही मान्य होगी।
5. आंगनबाड़ी कार्यकत्री के पद पर आवेदन हेतु उसी ग्राम सभा तथा शहरी क्षेत्र हेतु उसी वार्ड का निवासी होना अनिवार्य है।
6. सीधी भर्ती हेतु आंगनबाड़ी कार्यकत्री के पदों पर चयन की वरीयता:–

   (क) (I) उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की निवासी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा महिला।

   (II) उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की निवासी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधिक तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला।

(III) विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार का अभ्यर्थी न मिलने पर उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्र) में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की महिलायें।

(ख) उपरोक्तानुसार अभ्यर्थी न मिलने पर उपरोक्त वरीयता के कम में ही–

(I) उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की निवासी गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा महिला।

(II) उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की निवासी गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की विधिक तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला।

(III) विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला के गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार का अभ्यर्थी न मिलने पर उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्र) में गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की महिलायें।

7. विधवा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी/सम्बन्धित नगर निकाय द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण–पत्र एवं परिवार पंजिका की प्रमाणित नकल मान्य होगी। तलाकशुदा/परित्यकता के सम्बन्ध में सक्षम न्यायालय द्वारा निर्गत विधिक आदेश मान्य होंगे।
8. निवास एवं जाति प्रमाण–पत्र के सम्बन्ध में तहसील से आनलाईन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत निवास व जाति प्रमाण–पत्र ही मान्य होंगे जिनका ऑनलाईन सत्यापन सम्भव हो। आय प्रमाण–पत्र के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग–9 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 3959/1–9–11–रा0–9 दिनांक 30.09.2021 (यथा संशोधित) के कम में सक्षम स्तर से निर्गत आय प्रमाण–पत्र ही मान्य होगें, जिनका आनलाईन सत्यापन सम्भव हो।
9. गरीबी रेखा की आय सीमा का पुनर्निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में समाज कल्याण अनुभाग–2 उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–22/2015/2123/26–2–2025 दिनांक–14.09.2015 (यथा संशोधित) द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा हेतु निर्धारित आय सीमा का अनुपालन किया जायेगा।
10. ऑनलाइन आवेदन करते समय आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के स्वयं के नाम का ही दर्ज/अपलोड किया जाय साथ ही ऑनलाइन आवेदन करते समय आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र सम्बन्धी आवेदन कमांक तथा प्रमाण पत्र कमांक सही–सही प्रविष्ट किया जाय। जिसका ऑनलाइन सत्यापन हो सके।
11. शासनादेश संख्या–I/1092245/2025/3313/58–1–2025 (1917687) दिनांक–17.09.2025 के कम में एक आंगनबाड़ी केन्द्र पर एक परिवार की दो महिलाओं की नियुक्ति आंगनबाड़ी कार्यकत्री व सहायिका के पद पर नहीं की जायेगी।
12. आवेदन पत्र विभागीय बेवसाइट http://upanganwadibharti.in पर उपलब्ध फार्मेट पर ऑनलाईन व सही–सही सावधानीपूर्वक भरे जायेगें। आवेदिका द्वारा अभिलेखों की स्व–हस्ताक्षरित प्रति, जो स्वच्छ व पठनीय हो, अपलोड की जायेगी, जिनका उल्लेख उनके द्वारा ऑनलाइन फार्म में किया गया होगा। कोई भी आवेदन या अभिलेख/प्रपत्र ऑफलाइन या डाक द्वारा मान्य नहीं होंगे। यदि आवेदन करने में कोई त्रुटि होती है या कोई तथ्य/ऑकडे/शैक्षिक अभिलेखों के प्राप्तांक/पूर्णांक गलत या कूटरचित पाए जायेगे, तो अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।
13. ऑनलाइन आवेदन दिनांक–17.07.2026 से दिनांक–06.08.2026 की मध्य रात्रि 12:00 बजे तक स्वीकार किये जायेंगे।

नोट :– रिक्तियों की संख्या घट–बढ़ सकती है।

(सुरेन्द्र कुमार)
जिला कार्यक्रम अधिकारी
रायबरेली।

पृष्ठांकन संख्या– C–2084/तद्दिनॉकित्।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित–

1. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदया, रायबरेली।
3. मुख्य विकास अधिकारी (अध्यक्ष चयन समिति) महोदया, रायबरेली।
4. समस्त उपजिलाधिकारी/समस्त खण्ड विकास अधिकारी/समस्त अधिशाषी अधिकारी नगर पंचायत रायबरेली को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि विज्ञप्ति की प्रति अपने कार्यालय के सूचना पट पर चस्पा कराने का कष्ट करें।
5. समस्त सदस्यगण चयन समिति, रायबरेली,।
6. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी/प्रभारी जनपद रायबरेली को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त सूचना/विज्ञप्ति को समस्त मुख्य कार्यालयों/बाल विकास परियोजना कार्यालय के सूचना पट पर चस्पा करना सुनिश्चित करें।
7. जिला सूचना अधिकारी, रायबरेली को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उक्त विज्ञप्ति जनपद के एक स्थानीय समाचार पत्र तथा एक प्रदेश स्तर के दैनिक समाचार पत्र में न्यूनतम दरों पर प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

15/07/2026

जिला कार्यक्रम अधिकारी
रायबरेली।